

ई वेतन से सम्बंधित अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

S.No.	Question	Answer
1.	ई वेतन सॉफ्टवेयर पोर्टल लिंक / डोमेन नाम क्या है?	<a href="https://evetan.dlbup.finance">https://evetan.dlbup.finance</a>
2.	ई वेतन सॉफ्टवेयर का मुख्य उद्देश्य क्या है?	<p>1. वेतन प्रबंधन प्रणाली व भुगतान सम्बन्धी फाइल को PFMS के अनुरूप तैयार करना ।</p> <p>2. राज्य वित्त आयोग (शहरी) - SFC योजना के अंतर्गत होने वाले कर्मचारियों से सम्बंधित निम्नलिखित प्रकार के भुगतान सम्बन्धी फाइल को PFMS के अनुरूप सॉफ्टवेयर की सहायता से सुगमतापूर्वक बनाया जा सकता है जैसे:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>❖ <b>Other Retiral / Cum Death Benefit / अन्य सेवायनवृत्त / मृतक लाभ</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Gratuity Payment / उपादान भुगतान</li> <li>➤ Leave Encashment / अवकाश नगदीकरण</li> <li>➤ Gratuity Contribution / उपादान अंशदान</li> </ul> </li> <li>❖ <b>Pension Payment / पेंशन भुगतान</b></li> <li>❖ <b>Arrear Payment / एरियर भुगतान</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Salary Arrear / वेतन एरियर</li> <li>➤ Pension Arrear / पेंशन एरियर</li> </ul> </li> <li>❖ <b>Medical Reimbursement Payment / यचयकत्सा प्रयतपूयतक भुगतान</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Working / कार्यरत</li> <li>➤ Retired / सेवानिवृत्त</li> </ul> </li> <li>❖ <b>Bonus Payment / बोनस भुगतान</b></li> <li>❖ <b>EPF Contribution / EPF अंशदान</b></li> <li>❖ <b>Honorarium Payment / मानदेय भुगतान</b></li> <li>❖ <b>National Pension Scheme (NPS) Employer Contribution / राष्ट्रीय पेंशन योजना (एनपीएस) नियोक्ता अंशदान</b></li> <li>❖ <b>Travelling Allowance Daily Allowance / यात्रा भत्ता दैनिक भत्ता</b></li> <li>❖ <b>Pension Contribution / पेंशन अंशदान</b></li> </ul> <p>3. व्यय व कटौती रिपोर्ट उपलब्ध कराना ।</p> <p>4. प्रत्येक नागर निकाय को एक पोर्टल पर सुव्यवस्थित करना ।</p> <p>5. प्रत्येक कर्मचारी को वेतन स्लिप उपलब्ध करना</p> <p>6. उच्च अधिकारियों को निर्णय लेने में सुगमता प्रदान करने के साथ साथ तंत्र में सुधार करना ।</p>
3.	ई वेतन सॉफ्टवेयर का सबसे पहला कार्य क्या है?	कर्मचारियों का पंजीकरण

4.	कर्मचारियों का पंजीकरण कैसे किया जा सकता है?	एक एक कर्मचारियों का पंजीकरण व दिए गए एक्सेल की सहायता से एक से अधिक कर्मचारियों का पंजीकरण एक साथ किया जा सकता है ।
5.	कर्मचारियों को कितने श्रेणी में विभक्त किया गया है?	1. स्थायी कर्मचारी 2. संविदा कर्मचारी 3. दैनिक वेतनभोगी
6.	स्थायी कर्मचारी को कितने श्रेणी में विभक्त किया गया है?	1. केंद्रीयत 2. अकेंद्रियत - अन्य 3. अकेंद्रियत - सफाईकर्म
7.	संविदा कर्मचारी को कितने श्रेणी में विभक्त किया गया है?	1. संविदा - सफाईकर्म 2. संविदा - अन्य
8.	दैनिक वेतनभोगी को कितने श्रेणी में विभक्त किया गया है?	1. दैनिक वेतनभोगी - सफाईकर्म 2. दैनिक वेतनभोगी - अन्य
9.	क्या आउटसोर्सिंग कर्मचारियों का भी पंजीकरण ई वेतन सॉफ्टवेयर पर करना है?	नहीं
10.	आउटसोर्सिंग कर्मचारियों से सम्बंधित ई वेतन सॉफ्टवेयर पर क्या करना होगा?	सम्बंधित फर्म/एजेंसी/वेंडर का पंजीकरण करना होगा ।
11.	फर्म/एजेंसी/वेंडर का पंजीकरण होने के बाद निकाय क्या करेगी?	निकाय में कार्यरत आउटसोर्सिंग कर्मचारियों की संख्या - अन्य और सफाईकर्म के रूप में निकाय के द्वारा भरा जायेगा ।
12.	क्या पेंशनर का भी ई वेतन सॉफ्टवेयर पर पंजीकरण किया जाना है?	हाँ - केवल अकेंद्रियत पेंशनर्स
13.	अकेंद्रियत पेंशनर के कितने प्रकार हैं?	1. अकेंद्रियत पेंशनर - अन्य 2. अकेंद्रियत पेंशनर - सफाईकर्म
14.	अकेंद्रियत पेंशनर को कितने श्रेणी में विभक्त किया गया है?	1. पेंशनर 2. पारिवारिक पेंशन / फैमिली पेंशन
15.	ई वेतन सॉफ्टवेयर के लिए क्या सभी कार्मिकों का PFMS वेंडर कोड होना आवश्यक है?	1. हाँ - समस्त वेतनभोगी कार्मिकों का भुगतान राज्य वित्त आयोग - SFC से PFMS के माध्यम से किया जा रहा है इसलिए PFMS वेंडर कोड का होना आवश्यक है । 2. नहीं - कुछ निकाय के द्वारा पेंशनर का भुगतान राज्य वित्त आयोग - SFC से सीधे PFMS पोर्टल से नहीं किया जा रहा है उस स्थिति में PFMS वेंडर कोड होना आवश्यक नहीं है ।